अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

64/20/95 किशन लाल बनाम सोहन वगै०

तारीख पेशी	00064/2020 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री शशिकान्त जोशी एड० श्री महेन्द्र सिंह प्रो० -6	

किशन लाल बनाम सोहन वगैरह

27.10.20 पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 06 उपस्थित। दिनांक 07.08.2020 को प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र की बहस में निवेदन कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा के पूर्ण निस्तारण बाबत् प्रदान नहीं किया गया है तथा उक्त पत्रावली सुनवाई हेतु वर्तमान में भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत है जिस बाबत उक्त आदेश पूर्ण आदेश नहीं होकर अन्तरिम आदेश है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2020 अन्तरिम आदेश होने के कारण उक्त अपील इसी स्तर खारिज किए जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से निवेदन है कि प्राथमिक आपत्ति स्वीकार फरमायी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा दिनांक 12.04.2014 को जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगैरह पेज संख्या 37 में यह प्रतिपादित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा एवं एक पक्षीय अन्तरिम आदेश की अपील का श्रवणाधिकार मान्नीय न्यायालय को है। इसलिए अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील चलने योग्य नही है गलत है। मान्नीय न्यायालय से यह निवेदन है कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को प्रतिप्रेषित कर दी जावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 30 दिवस से करें। इससे उभयपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपीलाधीन आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2019 को आराजी मुतनाजा के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये थे तथा पश्चात दिनांक 05.02.2020 को तहसीलदार, नसीराबाद के निर्देशित किया गया था कि मौके पर मोरी पूर्व में चालू थी तो उभयपक्ष की उपस्थिति में मोरी को खुलवाने की कार्यवाही करते हुए यह भी सुनिश्चित करावे कि इस दौरान उभयपक्ष द्वारा किसी भी पक्षकार की फसलों को नष्ट नहीं किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से प्रथम दृष्टया उक्त आदेश से अपीलांट को किसी भी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती हैं। जहाँ तक अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करना एक विधिक प्रक्रिया में आता हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही किया जाना है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे शेष सभी पक्षकारों की तलबी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से तामीली करवाकर प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करत हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निर्णित करें। उक्त आदेश से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

नजीयकाउ

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

64/20/225

किशनलाल बनाम सोहन वगै०

तारीख पेशी	00064/2020 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री शशिकान्त जोशी एड० श्री महेन्द्र सिंह चौ० - 6	
लगातार	अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	